18/3/24	वकील उप0/ पत्रा0 वास्ते साक्ष्य प्रतिवादी 21/3/24 को पेश हो। Manish Manjit
21/3/24	पत्रावली पेश हुई। वकीलो द्वारा स्थगन/P.O. सा. के राज्य कार्य में व्यस्त होने से जनरल तारीख पेशी दी गई गत आदेश की पालना में पत्रावली दिनांक 1/4/24 को पेश हो। (हस्ताक्षर) हस्ताक्षर रीडर P.O. साहब राज्य कार्य में व्यस्त।
1/4/24 R.T. शारदा L.T. शारदा Identified (हस्ताक्षर) 1/4/24 (हस्ताक्षर) for defendant 1 P 4 01/04/24	पत्रावली पेश हुई वकील मय वादिया उप0 एवं वकील प्रतिवादीगण उप0 वादिया द्वारा एक प्रा0पत्र O23 R1 CPC दावा विड्रो किए जाने बाबत पेश कर निवेदन किया कि हम पक्षकारानो के मध्य लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो गया है। वादिया विवादित आराजी के सम्बन्ध में अब किसी भी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करना नही चाहती है। विवादित आराजी के सम्बन्ध में वादिया के पिता रामजीत द्वारा अपना हिस्सा 1/2 का बेचान दिनांक 14/7/2011 को प्रतिवादी शीला एवं देवा के हक में निष्पादित किया था वह सही था बचनामा के आधार पर किया गया नामान्तकरण सही है विवादित आराजी पर मेरा (वादिया) का कब्जा काश्त नही रहा बल्कि मेरे पिता रामजीत के द्वारा निष्पादित विक्रय पत्र से प्रतिवादिया शीला एवं प्रतिवादी देवा का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है मैं विवादित आराजी के सम्बन्ध में कोई भी कानूनी कार्यवाही / क्लेम आदि नही करुँगी मेरा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर दावा इसी स्तर पर विड्रा (खारिज) किये जाने का निवेदन किया। हमने वादिया एवं वकील वादी को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया। वादिया द्वारा

Scanned with CamScanner

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 15)

अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम राजाखेड़ा

शारदा बनाम भीला

किस्म मुकदमा दावा नं. 03/2012 सन्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
	प्रस्तुत प्रा०पत्र 023R1 CPC दावा विड्रो किये जाने बाबत स्वीकार किया जाकर दावा इसी स्तर पर खारिज किया जाता है तथा प्रा०पत्र 212 RTA के तहत जारी स्थगन आदेश 5/1/12 एवं पुष्टि (confirm) आदेश 17/6/16 मूल वाद की रोशनी मे निष्प्रभावित / निरस्त किया जाता है एवं स्थगन आदेश के निरस्तीकरण बाबत परवाना तहसीलदार राजाखेड़ा को जारी हो पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। Manjeet उपखण्ड अधिकारी राजाखेड़ा (धौलपुर)	

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजाखेडा (धौलपुर)

क्रमांक / कोर्ट / 24 / 260 दिनांकः– 01/04/2024

तहसीलदार
राजाखेडा।

विषय :– व मु0 उनवानी प्रकरण शारदा देवी बनाम शीला में स्थगन आदेश को हटाने बावत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि व मु0 उनवानी प्रकरण शारदा देवी बनाम शीला वगै0 में इस न्यायालय के द्वारा आदेश दिनांक 05.01.2012 के द्वारा विवादित आराजी ख0 नं0 637/3046, 638, 1037, 1038, 1041, 1050, 1051, 1052, 1053, 577 स्थित ग्राम सिंघावली खुर्द एवं आराजी ख0 नं0 170, 171 स्थित ग्राम महदवार नं0 01 तहसील राजाखेडा पर स्थगन जारी किया गया था। इस न्यायालय के द्वारा प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट सायल के अधिवक्ता के प्रार्थना पत्र पर विड्रो किया जा चुका है। अतः आप इस न्यायालय के द्वारा जारी स्थगन आदेश को निरस्त फरवावें। यदि किसी अन्य न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो पालना की जावें।

Manish
उपखण्ड अधिकारी
राजाखेडा
उपखण्ड अधिकारी
राजाखेडा (धौलपुर)

Scanned with CamScanner